



पंजाब एण्ड सिंध बैंक

(भारत सरकार का उपक्रम)

प्रधान कार्यालय : 21, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110 008

कॉरपोरेट कार्यालय : एनबीसीसी कार्यालय कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक-3, पूर्वी किंदवई नगर, नई दिल्ली-110023

सूचना

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कार्य का संचालन करने के लिए **बुधवार, 21 जनवरी, 2026** को प्रातः 11:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेसिंग (वीसी) / अन्य श्रव्य-दृश्य साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से पंजाब एण्ड सिंध बैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम सभा का आयोजन किया जाएगा :

मद संखा 1 :

बोर्ड/ समिति द्वारा अपने पूर्ण विवेकाधिकार में निर्धारित और विचार किए जाने अनुसार निबंधन और शर्तों पर, अहंताप्राप्त संस्थागत नियोजन के माध्यम से प्रत्येक ₹10/- (मात्र दस रुपये) के अंकित मूल्य के ₹3000 करोड़ (प्रीमियम सहित) राशि तक के नए इकिटी शेयरों के सूजन, प्रस्ताव, निर्गम तथा आबंटन हेतु शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करना तथा उपयुक्त पाए जाने पर निम्नलिखित को विशेष संकल्प के रूप में पारित करना :

“यह संकल्प किया जाता है कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (यहाँ ‘**अधिनियम**’ के रूप में संदर्भित), बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (यहाँ ‘**बैंककारी अधिनियम**’ के रूप में संदर्भित), पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 2008 (यहाँ ‘**विनियम**’ के रूप में संदर्भित), यथा संशोधित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2018 [यहाँ ‘**सेबी (आईसीडीआर) विनियम**’ के रूप में संदर्भित], **विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999** और **विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर ऋण लिखत) नियम, 2019** के प्रावधानों के अनुसरण में तथा भारत सरकार (‘**भा.स.**’), भारतीय रिज़र्व बैंक (‘**भा.रि.बै.**’), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (‘**सेबी**’) और/अथवा किसी अन्य सक्षम प्राधिकरण द्वारा जारी प्रयोज्य नियम, विनियम, दिशानिर्देश, परिपत्र और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा किसी अन्य प्रयोज्य विधि, नियम या विनियमन (तत्समय प्रवृत्त किसी भी संशोधन या उसके पुनः अधिनियमन सहित), शेयर बाज़ारों जहाँ बैंक के इकिटी शेयर सूचीबद्ध हैं, के साथ बैंक द्वारा किए गए सूचीयन करार, सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 [यहाँ ‘**सेबी (एलओडीआर)**’ के रूप में संदर्भित], किसी अन्य संबंधित प्राधिकरणों के किसी अनुमोदन, सम्मति, अनुमति या स्वीकृति और इस प्रकार के अनुमोदन, सम्मति, अनुमति या स्वीकृति प्रदान करते समय उनमें से किसी के द्वारा निर्धारित किए जा सकने वाले इस प्रकार के निबंधन, शर्तें और संशोधन तथा जिनके लिए बैंक के निदेशक मंडल (यहाँ ‘**बोर्ड**’ के रूप में संदर्भित है जिसमें बोर्ड द्वारा गठित कोई भी समिति सम्मिलित होगी) द्वारा सहमति दी जा सकती है, के अधीन ऐसे समय या समयों पर, इस प्रकार की शिष्टता में प्रीमियम सहित ऐसे मूल्य पर और विद्यमान बाज़ार स्थितियों एवं अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए निवेशकों जिन्हें प्रस्ताव, निर्गम व आबंटन किया जाता है, की श्रेणियों को निर्धारित करने के विवेकाधिकार सहित और यथावश्यक अग्रणी प्रबंधक (ओं) और/ या हामीदार (ओं) और/ या अन्य परामर्शदाता (ओं) जैसा कि बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार में उचित व उपयुक्त समझे, के परामर्श से ऐसे निबंधन व शर्तों पर जो बोर्ड द्वारा अपने पूर्ण विवेक के अनुसार उचित व उपयुक्त समझा जा सकता है, एतदद्वारा बोर्ड को आईसीडीआर विनियमों के अध्याय VI के अंतर्गत अहंताप्राप्त संस्थागत स्थानन चाहे वे बैंक के शेयरधारक हों अथवा नहीं, जैसा भारत सरकार/ आरबीआई द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है और जैसा बोर्ड द्वारा अपने विवेकाधिकार में निर्धारित किया जा सकता है और प्रयोज्य विधि एवं विनियमों के अंतर्गत अनुमत है, के माध्यम से ₹3000 करोड़ (तीन हजार करोड़ मात्र) तक की कुल राशि के सूजन, प्रस्ताव, निर्गम और आबंटन करने की सहमति प्रदान की जाती है।”

“आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि जारी किए गए इकिटी शेयर, लाभांश सहित बैंक के विद्यमान शेयरों के समकक्ष होंगे।”

आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि आईसीडीआर विनियम के अध्याय VI के अनुसार अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन के प्रकरण में :

- a) आईसीडीआर विनियम के अध्याय VI में दिए गए आशय के अनुसार प्रतिभूतियों का आबंटन केवल अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेताओं को ही किया जाएगा, इस प्रकार की प्रतिभूतियां पूर्णतः प्रदत्त होंगी और इस प्रकार की प्रतिभूतियों का आबंटन इस संकल्प की तिथि से 12 माह के भीतर पूर्ण किया जाएगा।
- b) आईसीडीआर विनियम के विनियमन 176 (1) के अनुसार बैंक, न्यूनतम मूल्य पर अधिकतम पाँच प्रतिशत तक की छूट पर शेयरों की पेशकश करने के लिए प्राधिकृत है, जैसा कि विनियमों के अनुसार निर्धारित किया गया है।
- c) प्रतिभूतियों के न्यूनतम मूल्य के निर्धारण की प्रासंगिक तिथि, आईसीडीआर विनियम के अनुसार होगी।

“आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि उक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से एतदद्वारा बोर्ड को प्राधिकृत किया जाता है कि वह ऐसे सभी कृत्यों, कार्यों, प्रकरणों और विषय को संपादित करें जिसमें इसके पूर्ण विवेकाधिकार अनुसार मसौदे को अंतिम रूप देने एवं अनुमोदन के साथ-साथ इकिटी शेयर जारी व आबंटित किए जाने वाले निवेशकों के वर्ग, आबंटित किए जाने वाले इकिटी शेयरों की संख्या, निर्गम मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम राशि सहित निर्गम के प्रपत्र व शिष्टाकों को निर्धारित करने वाले अंतिम प्रस्ताव दस्तावेज़ सम्मिलित हैं लेकिन केवल इन तक सीमित नहीं है तथा शेयरों के निर्गम, प्रस्ताव या आबंटन और निर्गम आगम की उपयोगिता से आविर्भूत हो सकने वाले समस्त प्रश्नों, समस्याओं या संदेह का निपटान करे जैसा वे अपने पूर्ण विवेकाधिकार में उचित समझे और ऐसा करने के लिए उन्हें सदस्यों की किसी और सहमति या अनुमोदन या अन्यथा की आवश्यकता नहीं होगी तथा यह समझा जाएगा कि अंतिम रूप देने के प्रयोजन व आशय से सदस्यों ने इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा स्पष्ट रूप से अपनी सहमति दी है।”

“आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि एतदद्वारा बोर्ड को यथाआवश्यक अग्रणी प्रबंधक, विधिक सलाहकार, हामीदार, बैंकर्स, परामर्शदाता और ऐसी समस्त एजेसियां जो इकिटी शेयरों के इस प्रकार के प्रस्ताव में अंतर्निहित या संबद्ध हो सकते हैं, को संलग्न/नियुक्त करने तथा आढ़त, दलाली, शुल्क या इसी प्रकार के माध्यम से उन्हें पारिश्रमिक देने तथा ऐसी एजेसियों के साथ इस प्रकार की समस्त व्यवस्थाओं, करारों, ज्ञापन, दस्तावेजों इत्यादि में सम्मिलित होने और उन्हें निष्पादित करने तथा शेयर बाज़ारों जहाँ बैंक के इकिटी शेयर सूचीबद्ध है, पर निर्गमित इकिटी शेयरों की सूचीबद्धता प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया जाता है।”

“आगे संकल्प किया जाता है कि उपरोक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बोर्ड को एतदद्वारा निदेशकों की समिति/ प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी/ कार्यपालक निदेशक (ओं) कंपनी सचिव/ बोर्ड द्वारा प्राधिकृत अन्य व्यक्ति को अपने समस्त या किसी भी अधिकार के प्रत्यायोजन के लिए निदेशकों की समिति बनाने के लिए अधिकृत किया जाता है तथा बोर्ड, अपने द्वारा उपयुक्त व उचित माने जाने पर इस प्रकार की कार्रवाई करने और इस प्रकार के समस्त कृत्यों, कार्यों, मामलों, विषय को संपादित करने एवं किसी परिवर्तन (ओं) या संशोधन (ओं) को स्वीकार करने और इकिटी शेयरों के निर्गमन व आबंटन के संबंध में आविर्भूत हो सकने वाले प्रश्न या समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक निर्देश देने के लिए अधिकृत हैं। इसके अंतर्गत निम्नलिखित शामिल हैं लेकिन केवल इन्हीं तक सीमित नहीं हैं :

- i) मसौदे/अंतिम प्रस्ताव दस्तावेजों का अनुमोदन करना और यथा आवश्यक हो सकने वाले किसी अन्य प्राधिकरण या व्यक्तियों के पास उनका संचिकायन करना।

- ii) निर्गम मूल्य, आबंटित किए जाने वाले इकिटी शेयरों की संख्या, आबंटन का आधार और इकिटी शेयरों के आबंटन का अनुमोदन करना।
- iii) इकिटी शेयरों के निर्गमन के संबंध में आवश्यक या वांछनीय समस्त अनुबंधों, करारों और अन्य दस्तावेजों, विलेखों एवं लिखतों की व्यवस्था, प्रतिपादन व निष्पादन करना।
- iv) प्रस्ताव के लिए आवश्यक बैंक खाते खोलना।
- v) इस प्रकार के समस्त कृत्यों, विलेख, प्रकरणों और विषय को संपादित करना तथा इस प्रकार के समस्त अन्य दस्तावेजों का निष्पादन और इस प्रकार के समस्त शुल्क का भुगतान करना जो इनके पूर्ण विवेकाधिकार में संव्यवहार के उद्देश्य के लिए आवश्यक या वांछनीय हो।
- vi) उपयुक्त प्राधिकारियों के पास इस प्रकार के समस्त आवश्यक आवेदन करना और इस संबंध में आवश्यक नियामक सचिकायन करना।
- vii) शेयर बाज़ार (ओं) जहाँ बैंक के इकिटी शेयर सूचीबद्ध हैं, पर बैंक के इकिटी शेयर की सूचीबद्धता के लिए आवेदन करना।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा
कृते पंजाब एण्ड सिंध बैंक

स्थान : नई दिल्ली

(साकेत मेहरोत्रा)

दिनांक : 30 दिसंबर, 2025

कंपनी सचिव

1) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वार्षिक असाधारण सामान्य बैठक :

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसरण में बैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम सभा (ईजीएम) का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जा रहा है जिसमें सदस्यों को किसी सामान्य स्थान पर भौतिक रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। ईजीएम के लिए मानित स्थान नई दिल्ली में बैंक का प्रधान कार्यालय होगा। वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने वाले शेयरधारकों की गणना, पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर व बैठकें) विनियम, 2008 के विनियमन 58 के अंतर्गत गणपूर्ति में शामिल करने के उद्देश्य से की जाएगी। चूंकि वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम का आयोजन किया जाएगा इसलिए सचिवालय मानक 2 के अंतर्गत इस नोटिस के साथ अपेक्षित मानचित्र संलग्न नहीं है।

2) वोटिंग अधिकार : यथा संशोधित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 के खंड 3 (2E) की शर्तों के अनुसार केंद्रीय सरकार के अतिरिक्त बैंक का कोई भी शेयरधारक मताधिकार के समय बैंक के समस्त शेयरधारकों के कुल मताधिकारों के दस प्रतिशत से अधिक मताधिकारों का प्रयोग, अपने द्वारा धारित शेयरों के संबंध में नहीं करेगा।

यदि कोई शेयर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम पर है, तो रजिस्टर में पहले नामित व्यक्ति, मतदान के संबंध में, उसका एकमात्र धारक माना जाएगा।

यथासंशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के अनुसार बैठक में भाग लेने और मतदान करने के पात्र शेयरधारक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।

3) परोक्षी की नियुक्ति : बैठक में भाग लेने और मतदान के लिए पात्र शेयरधारक अपने स्थान पर बैठक में भाग लेने एवं मत देने के लिए परोक्षी की नियुक्ति करने हेतु पात्र होंगे तथा इस प्रकार के परोक्षी को बैंक का शेयरधारक होना अनिवार्य नहीं है। हालांकि वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम के आयोजन के लिए पूर्वोक्त छूटों के अनुसरण में शेयरधारकों की भौतिक उपस्थिति को अनावश्यक बनाया गया है। तदनुसार, शेयरधारकों द्वारा प्रॉक्सी नियुक्ति की सुविधा इस ईजीएम के लिए उपलब्ध नहीं है तथा प्रॉक्सी फॉर्म व उपस्थिति पर्ची इस नोटिस के साथ संलग्न नहीं हैं।

4) प्राधिकृत प्रतिनिधि (यों) की नियुक्ति : कोई भी व्यक्ति किसी निगमित निकाय के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने तथा/या ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कंपनी/ इकाई के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उसे नियुक्त करने के संकल्प की प्रमाणित सत्यापित प्रति, बैठक की तिथि से चार दिन पूर्व अर्थात शुक्रवार, 16 जनवरी 2026 को अपराह्न 05:00 बजे तक या इससे पूर्व, कंपनी सचिव, पंजाब एण्ड सिंध बैंक, एनबीसीसी कार्यालय कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक-3, पूर्वी किंदवर्ड नगर, नई दिल्ली-110023 में जमा नहीं की जाती है अथवा संवीक्षक को scrutinizer@snaco.net पर मेल नहीं की जाती है जिसकी प्रतिलिपि complianceofficer@psb.bank.in को भेजा जाना है।

बैंक का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी, शेयरधारक के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं होगा।

5) डाउनलोड करने हेतु बैठक की सूचना बैंक वेबसाइट अर्थात <https://punjabbandsind.bank.in/> (निवेशक जानकारी पृष्ठ), बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com पर उपलब्ध है।

6) **व्याख्यात्मक विवरण :** बैठक के कामकाज के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों को निर्धारित करने वाला व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है और नोटिस का हिस्सा है।

7) **शेयर हस्तांतरण एजेंट के साथ संचार:**

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से समस्त संचार प्राप्त करने के लिए अपने ई-मेल पते, डाक पते, बैंक विवरण इत्यादि में हुए परिवर्तनों/अद्यतन (यदि हो) की सूचना बैंक के शेयर अंतरण एजेंट को निम्नलिखित पते पर दें-

एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड.

यूनिट : पंजाब एण्ड सिंध बैंक

नोबल हाइट्स, प्रथम तल, प्लॉट सं. एनएच 2, एलएससी, सी-1 ब्लॉक

सावित्री मार्केट के पास, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058

दूरभाष : +91 11 4141 0592, 93, 94, फैक्स : +91 11 4141 0591

ई-मेल : investor.helpdesk@in.mmps.mufg.com

अमूर्त रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सभी संचार प्राप्त करने के लिए ई-मेल पते, डाक पते, बैंक विवरण इत्यादि में हुए परिवर्तनों/अद्यतन (यदि हो) की सूचना अपने निक्षेपागार सहभागियों को दें।

8) **इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से मतदान**

- I) एमसीए परिपत्रों के साथ पठित सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 के विनियम 44, शेयर बाजारों के साथ सूचीयन करार तथा यथा संशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसरण में, बैंक सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा उपलब्ध कराए गए ई-वोटिंग प्लॉटफॉर्म के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक साधनों (दूरस्थ ई-वोटिंग व ईजीएम के दौरान ई-वोटिंग) द्वारा ईजीएम में मदों के संबंध में अपने शेयरधारकों को उनके मताधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करते हुए प्रसन्न है।
- II) **निर्दिष्ट तिथि :** बैंक ने बैठक में उपस्थिति और मतदान के लिए **बुधवार, 14 जनवरी 2026** को निर्दिष्ट तिथि/कट-ऑफ तिथि के रूप में निर्धारित किया है।
- III) वे शेयरधारक, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से ईजीएम में उपस्थित रहेंगे तथा दूरस्थ ई-मतदान के माध्यम से चुनाव में मतदान नहीं किया है, ईजीएम के दौरान ई-मतदान प्रणाली के माध्यम से मतदान के पात्र होंगे।
- IV) जिन शेयरधारकों ने बैठक से पूर्व दूरस्थ ई-मतदान द्वारा अपना मतदान कर दिया है, वे भी वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग ले सकते हैं लेकिन पुनः अपना मतदान करने के लिए पात्र नहीं होंगे।
- V) सदस्य, नोटिस में उल्लिखित प्रक्रियाओं का अनुसरण करके बैठक प्रारंभ होने के 15 मिनट पूर्व तथा निर्धारित समय पश्चात वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में भाग ले सकते हैं। वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा न्यूनतम 1000 सदस्यों को पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें वृहत शेयरधारक (2 प्रतिशत या उससे अधिक हिस्सेदारी वाले शेयरधारक), प्रवर्तक, संस्थागत निवेशक, निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक, लेखापरीक्षा समिति, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति तथा हितधारक संबंध समिति के अध्यक्ष, लेखा परीक्षक इत्यादि शामिल नहीं होंगे जिन्हें पहले आओ-पहले पाओ के प्रतिबंध के बिना ईजीएम में भाग लेने की अनुमति है।

VI) दूरस्थ ई-मतदान और आभासी बैठक में शामिल होने हेतु शेयरधारकों के लिए निर्देश इस प्रकार हैं:

चरण 1 : अमूर्त रूप में शेयर रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों के प्रकरण में निक्षेपागार सीडीएसएल/ एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से अभिगम।

चरण 2 : मूर्त रूप में शेयर रखने वाले तथा अमूर्त रूप में शेयर रखने वाले गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों के प्रकरण में सीडीएसएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से अभिगम।

- i) **शनिवार, 17 जनवरी 2026 को पूर्वाह 10.00 बजे से दूरस्थ ई-मतदान आरंभ होगी तथा मंगलवार, 20 जनवरी 2026 को अपराह 05.00 बजे समाप्त हो जाएगी।** उसके बाद वोटिंग के लिए सीएसडीएल द्वारा दूरस्थ ई-मतदान मॉड्यूल बंद कर दी जाएगी। इस अवधि के दौरान बैंक के शेयरधारक जिनके पास विनिर्दिष्ट तिथि/ कट-ऑफ तिथि को शेयर मूर्त अथवा अमूर्त रूप में हैं, अपना मतदान इलेक्ट्रॉनिक रूप से कर सकते हैं।
- ii) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियमन 44 के अंतर्गत सेबी परिपत्र संख्या **SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 दिनांकित 09.12.2020** के अनुसार, सूचीबद्ध संस्थाओं को समस्त शेयरधारकों के संकल्पों के संबंध में अपने शेयरधारकों को दूरस्थ ई-मतदान की सुविधा प्रदान करना आवश्यक है। तथापि यह पाया गया है कि सार्वजनिक गैर-संस्थागत शेयरधारकों/ खुदरा शेयरधारकों की सहभागिता नगण्य स्तर पर है।

वर्तमान में, भारत में सूचीबद्ध संस्थाओं को दूरस्थ ई-मतदान की सुविधा प्रदान करने वाले अनेक ई-मतदान सेवा प्रदाता (ईएसपी) हैं। इसके लिए शेयरधारकों द्वारा विभिन्न ईएसपी पर पंजीकरण तथा अनेक यूजर आईडी और पासवर्ड के अनुरक्षण की आवश्यकता होती है।

सार्वजनिक परामर्श के अनुसरण में, मतदान प्रक्रिया की दक्षता बढ़ाने के लिए समस्त डीमैट खाताधारकों को उनके डीमैट खाते/ निक्षेपागारों की वेबसाइट/ निक्षेपागार सहभागियों के माध्यम से, एकल लॉगिन क्रेडेंशियल द्वारा ई-मतदान को सक्षम करने का निर्णय लिया गया है। डीमैट खाताधारक, ईएसपी के साथ पुनः पंजीकरण बिना अपना मतदान करने में सक्षम होंगे, जिससे न केवल निर्बाध प्रमाणीकरण की सुविधा होगी बल्कि ई-मतदान प्रक्रिया में भाग लेने की सुगमता और सुविधा भी बढ़ेगी।

चरण 1 : डीमैट रूप में शेयर रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों के प्रकरण में निक्षेपागार सीडीएसएल/ एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से अभिगम।

- iii) सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराई गई ई-मतदान सुविधा पर सेबी परिपत्र संख्या **SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 दिनांकित 9 दिसंबर, 2020** के संबंध में, डीमैट रूप में प्रतिभूतियां धारित करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को निक्षेपागारों तथा निक्षेपागार सहभागियों के पास अनुरक्षित अपने डीमैट खाते के माध्यम से मतदान की अनुमति है। शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि ई-मतदान सुविधा के अभिगम के लिए अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी अद्यतित कराएं।

उपरोक्त सेबी परिपत्र के अनुसरण में सीडीएसएल/एनएसडीएल अभौतिक (डीमैट) रूप में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग और आभासी बैठक में शामिल होने के लिए लॉगइन विधि नीचे/आगे दी गई है :

शेयरधारकों के प्रकार	लॉग-इन विधि
सीडीएसएल निक्षेपागार के पास डीमैट रूप में प्रतिभूतियां धारित करने वाले शेयरधारक	<p>1) जिन प्रयोक्ताओं ने सीडीएसएल Easi/ Easiest सुविधा का विकल्प चुना है, वे अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। बिना किसी अतिरिक्त प्रमाणीकरण के ई-मतदान पृष्ठ पर पहुंचने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। उपयोगकर्ताओं से अनुरोध है कि Easi/ Easiest में लॉगिन करने के लिए सीडीएसएल वेबसाइट www.cdsindia.com का अवलोकन करें तथा और लॉगिन आइकन व New System Myeasi पर क्लिक करें।</p> <p>2) सफल लॉगिन के बाद Easi/ Easiest उपयोगकर्ता कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार पात्र कंपनियों के लिए ई-मतदान का विकल्प देख सकेंगे, जहाँ ई-मतदान प्रगति पर है। ई-मतदान विकल्प में क्लिक करने पर उपयोगकर्ता दूरस्थ ई-मतदान अवधि के दौरान अपना मतदान करने या आभासी बैठक में शामिल होने और बैठक के दौरान मतदान के लिए ई-मतदान सेवा प्रदाता का ई-मतदान पृष्ठ देखने में सक्षम होंगे। इसके अतिरिक्त, समस्त ई-मतदान सेवा प्रदाताओं की प्रणाली तक पहुंचने के लिए लिंक भी उपलब्ध हैं ताकि उपयोगकर्ता सीधे ई-मतदान सेवा प्रदाताओं की वेबसाइट का अवलोकन कर सके।</p> <p>3) यदि उपयोगकर्ता Easi/ Easiest के लिए पंजीकृत नहीं है तो पंजीकरण करने का विकल्प www.cdsindia.com पर उपलब्ध है। लॉगिन और New System Myeasi Tab पर क्लिक करें और उसके बाद पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करें।</p> <p>4) वैकल्पिक रूप से, उपयोगकर्ता www.cdsindia.com के आवरण पृष्ठ पर उपलब्ध ई-वोटिंग लिंक से डीमैट खाता संख्या और पैन नंबर डालकर सीधे ई-वोटिंग पृष्ठ तक पहुंच सकते हैं। सिस्टम, डीमैट खाते में अभिलिखित पंजीकृत मोबाइल और ई-मेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता को प्रमाणित करेगा। सफल प्रमाणीकरण के पश्चात उपयोगकर्ता उस ई-मतदान विकल्प को देखने में सक्षम होगा जहाँ ई-मतदान प्रगति पर है और समस्त ई-मतदान सेवा प्रदाताओं की प्रणाली में सीधे अभिगम करने में भी सक्षम होगा।</p>
एनएसडीएल निक्षेपागार के पास डीमैट मोड में प्रतिभूतियां धारित करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	<p>1) यदि आप पहले से ही NSDL IDeAS सुविधा के लिए पंजीकृत हैं तो कृपया एनएसडीएल की ई-सर्विसेज वेबसाइट पर जाएं। व्यक्तिगत कंप्यूटर या मोबाइल पर यूआरएल https://eservices.nsdl.com टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें। एक बार ई-सेवाओं का आवरण पृष्ठ प्रारंभ होने के बाद, "Login" के अंतर्गत "Beneficial Owner" आइकन पर क्लिक करें, जो 'IDeAs' सेवान के अंतर्गत उपलब्ध है। एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड प्रविष्ट करना होगा। सफल प्रमाणीकरण के पश्चात, आप ई-मतदान सेवाओं को देख पाएंगे। ई-मतदान सेवाओं के अंतर्गत "Access to e-Voting" पर क्लिक करें और आप ई-वोटिंग पृष्ठ देखने में सक्षम होंगे। कंपनी के नाम या ई-मतदान सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और दूरस्थ ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना मतदान करने या आभासी बैठक में शामिल होने व बैठक के दौरान मतदान करने के लिए आपको ई-मतदान सेवा प्रदाता वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।</p>

	<p>2) यदि उपयोगकर्ता, IDeAS ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं है तो पंजीकरण का विकल्प https://eservices.nsdl.com पर उपलब्ध है। "Register Online for IDeAS Portal" का चयन करें अथवा https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें।</p> <p>3) एनएसडीएल की ई-मतदान वेबसाइट पर जाएं। व्यक्तिगत कंप्यूटर पर या मोबाइल पर यूआरएल https://www.evoting.nsdl.com/ टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें। एक बार ई-मतदान सिस्टम का आवरण पृष्ठ प्रारंभ होने के बाद, "Login" आइकन पर क्लिक करें जो 'Shareholder/Member' अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है। एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना यूजर आईडी (अर्थात् एनएसडीएल में आपका सोलह अंकों का डीमैट खाता नंबर), पासवर्ड/ ओटीपी और स्क्रीन पर दिखाए गए अनुसार सत्यापन कोड दर्ज करना होगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा जहां आप ई-मतदान पृष्ठ देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-मतदान सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और दूरस्थ ई-मतदान अवधि के दौरान अपना मतदान करने या आभासी बैठक में शामिल होने और बैठक के दौरान मतदान करने के लिए आपको ई-मतदान सेवा प्रदाता वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।</p> <p>4) ओटीपी आधारित लॉगिन के लिए आप https://eservices.nsdl.com/secureweb/evotinglogin.jsp पर क्लिक कर सकते हैं। आपको अपना 8-अंकों का डीपी आईडी, 8-अंकों का ग्राहक आईडी, पैन नंबर, सत्यापन कोड और ओटीपी जनरेट करना होगा। पंजीकृत ईमेल आईडी/ मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और लॉगिन पर क्लिक करें। सफल प्रमाणीकरण के बाद आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा जिसमें आप ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या वर्चुअल मीटिंग और वोटिंग में शामिल होने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा।</p>
<p>अपने निक्षेपागार सहभागियों (DP) के माध्यम से लॉगिन करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक (डीमैट मोड में प्रतिभूति धारक)</p>	<p>आप ई-मतदान सुविधा के लिए एनएसडीएल/ सीडीएसएल के पास पंजीकृत अपने निक्षेपागार सहभागी के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं। सफल लॉगिन के बाद, आप ई-मतदान का विकल्प देख पाएंगे। एक बार जब आप ई-मतदान विकल्प पर क्लिक करते हैं तो आपको सफलतापूर्वक प्रमाणीकरण के बाद एनएसडीएल/ सीडीएसएल डिपॉजिटरी साइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा, जहां आप ई-मतदान सुविधा देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और दूरस्थ ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना मतदान करने या आभासी बैठक में शामिल होने व बैठक के दौरान मतदान करने के लिए आपको ई-मतदान सेवा प्रदाता वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।</p>

महत्वपूर्ण नोट : जो सदस्य यूजर आईडी/ पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे उपरोक्त उल्लिखित वेबसाइट पर उपलब्ध 'Forget User ID and Forget Password' विकल्प का प्रयोग करें।

निक्षेपागार अर्थात् सीडीएसएल और एनएसडीएल के माध्यम से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या के लिए डीमैट रूप में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए हेल्पडेस्क :

लॉग-इन प्रकार	हेल्प डेस्क विवरण
सीडीएसएल के साथ डीमैट रूप में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर सीडीएसएल हेल्प डेस्क से संपर्क कर सकते हैं या टोल-फ्री नंबर 1800 21 0991 पर संपर्क कर सकते हैं।
एनएसडीएल के साथ डीमैट रूप में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल हेल्प डेस्क से संपर्क कर सकते हैं या टोल फ्री संख्या 022-4886 7000 और 022-2499 7000 पर संपर्क कर सकते हैं।

चरण 2 : मूर्त रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक तथा डीमैट रूप में गैर-व्यक्तिगत शेयरधारक के मामले में सीडीएसएल ई-मतदान प्रणाली के माध्यम से अभिगम।

iv) भौतिक शेयरधारकों तथा डीमैट रूप में व्यक्तिगत शेयरधारकों के अतिरिक्त अन्य शेयरधारकों के लिए दूरस्थ ई-मतदान और आभासी बैठक में शामिल होने के लिए के लिए लॉगिन विधि।

1. शेयरधारकों को ई-मतदान वेबसाइट www.evotingindia.com पर लॉग-ऑन करना चाहिए।
2. 'Shareholders' मॉड्यूल पर क्लिक करें।
3. अब निम्नानुसार अपना यूजर आईडी प्रविष्ट करें :
 - a) सीडीएसएल हेतु : 16 अंकों की हिताधिकारी आईडी।
 - b) एनएसडीएल हेतु : 8 अंकों की डीपी आईडी के बाद 8 अंकों की ग्राहक आईडी।
 - c) भौतिक रूप में शेयरधारक, बैंक में पंजीकृत अपनी फोलियो संख्या प्रविष्ट करें।
4. दर्शाई गई इमेज सत्यापन को प्रविष्ट करें और लॉगिन पर क्लिक करें।
5. यदि आपके पास शेयर डीमैट रूप में हैं और आपने www.evotingindia.com पर लॉग-ऑन किया है और पूर्व में किसी कंपनी हेतु मतदान किया है तो अपने वर्तमान पासवर्ड का प्रयोग करें।
6. यदि आप प्रथम बार मतदान कर रहे हैं तो निम्न दिए गए चरणों का अनुसरण करें :

भौतिक शेयरधारकों तथा डीमैट रूप में व्यक्तिगत शेयरधारकों के अतिरिक्त अन्य शेयरधारक	
पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी आपका 10 अंकों का अल्फा-न्यूमेरिक *पैन प्रविष्ट करें (यह डीमैट शेयरधारकों के साथ-साथ भौतिक शेयरधारकों दोनों के लिए लागू है) <ul style="list-style-type: none"> • ऐसे शेयरधारक जिन्होंने अपना पैन, बैंक/डिपाजिटरी सहभागी के पास अद्यतित नहीं कराया है, उनसे अनुरोध है कि वे बैंक/आरटीए द्वारा भेजे गए अनुक्रम संख्या का प्रयोग करें या कंपनी/आरटीए से संपर्क करें।
लाभांश बैंक विवरण या जन्म-तिथि (डीओबी)	लॉगिन करने हेतु अपने डिमेट खाते में या बैंक अभिलेख में अभिलिखित लाभांश बैंक विवरण या जन्म-तिथि (दिन/ माह/ वर्ष प्रारूप में) प्रविष्ट करें। <ul style="list-style-type: none"> • यदि दोनों विवरण निक्षेपागार या बैंक के पास पंजीकृत नहीं हैं तो कृपया लाभांश बैंक विवरण फील्ड में सदस्य आईडी/ फोलियो संख्या प्रविष्ट करें।

v) इन विवरणों को उपयुक्त रूप से प्रविष्ट करने के पश्चात "SUBMIT" टेब पर क्लिक करें।

vi) सदस्य जिनके पास मूर्त रूप में शेयर हैं, सीधे कंपनी सेलेक्शन स्क्रीन पर पहुँच सकते हैं। तथापि, सदस्य जिनके पास डीमैट रूप में शेयर हैं, 'Password Creation' मेनू में पहुँचेंगे, जहां उन्हें नए पासवर्ड स्थान में अनिवार्य रूप से अपना लॉगिन पासवर्ड दर्ज करना होगा। कृपया नोट करें कि डीमैट धारकों द्वारा इस पासवर्ड का उपयोग किसी भी कंपनी जिसमें वह वोट देने के लिए पात्र है, किया जा सकता है बशर्ते कंपनी, सीडीएसएल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ई-वोटिंग का चयन करती है। प्रबलतापूर्वक अनुशंसा की जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं तथा अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतें।

vii) शेयरधारक जिनके पास शेयर मूर्त रूप में हैं, इस सूचना में निहित संकल्प पर केवल ई-मतदान के लिए ब्यौरे का उपयोग किया जा सकता है।

viii) पंजाब एण्ड सिंध बैंक के 'EVSN' पर क्लिक करें जिसको आप मतदान करना चाहते हैं।

ix) मतदान पृष्ठ पर आप 'RESOLUTIONS DESCRIPTION' के समक्ष YES/ NO का विकल्प, वोटिंग के लिए देखेंगे। इच्छानुसार 'YES' अथवा 'NO' विकल्प का चयन करें। 'YES' का विकल्प, संकल्प के प्रति आपकी सहमति सूचित करता है तथा 'NO' का विकल्प, संकल्प के प्रति आपकी असहमति सूचित करता है।

x) यदि आप सभी संकल्प विवरणों को देखना चाहते हैं तो 'RESOLUTIONS FILE LINK' पर क्लिक करें।

xi) जिस प्रस्ताव पर आपने वोट देने का फैसला किया है, उसे चुनने के बाद, 'SUBMIT' पर क्लिक करें। एक पुष्टीकरण बॉक्स दिखाई देगा। यदि आप अपना वोट कन्फर्म करना चाहते हैं, तो 'OK' पर क्लिक करें, अन्यथा अपना वोट बदलने के लिए 'CANCEL' पर क्लिक करें और तदनुसार अपना वोट संशोधित करें।

xii) संकल्प पर एक बार मतदान की 'CONFIRM' के पश्चात मतदान को संशोधित करने की अनुमति नहीं होगी।

xiii) मतदान पृष्ठ के 'Click here to print' विकल्प पर क्लिक करके आप अपने द्वारा किए गए मतदान का प्रिंट भी निकाल सकते हैं।

xiv) यदि डीमैट खाताधारक अपना लॉगिन पासवर्ड भूल गए हैं तो यूजर आईडी और इमेज सत्यापन कोड को प्रविष्ट करें तथा 'Forgot Password' पर क्लिक करें और प्रणाली द्वारा मांगे गए विवरण को प्रविष्ट करें।

xv) यहाँ पर BR/POA अपलोड करने का वैकल्पिक प्रावधान भी है (यदि कोई अपलोड है) जिसे सत्यापन के लिए संवीक्षक को उपलब्ध कराया जाएगा।

xvi) गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों तथा अभिरक्षकों के लिए अतिरिक्त सुविधा – केवल दूरस्थ मतदान के लिए

- गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों (अर्थात वैयक्तिक, एचयूएफ, एनआरआई इत्यादि के अतिरिक्त) तथा अभिरक्षकों को www.evotingindia.com पर लॉग-ऑन करना होगा और 'Corporates' मॉड्यूल में स्वयं को पंजीकृत करना होगा।
- पंजीकरण फॉर्म की स्कैन प्रति जिस पर संस्था की मुहर तथा हस्ताक्षर हो, को helpdesk.evoting@cdslindia.com पर मेल की जानी चाहिए।
- लॉगिन विवरण प्राप्त होने के बाद, एडमिन लॉगिन तथा पासवर्ड का उपयोग करके अनुपालन यूजर सृजित करना चाहिए। अनुपालन यूजर, खाता (ओं) को लिंक करने समर्थ होगा जिसके लिए वो मतदान करना चाहते हैं।
- लॉगिन में संबद्ध खातों की सूची स्वतः मैप होगी तथा गलत मैपिंग के लिए डी-लिंक भी की जा सकती है।
- यह अनिवार्य है कि बोर्ड संकल्प तथा मुख्तारनामा (पीओए) की स्कैन प्रति जिसे उन्होंने अभिरक्षक के पक्ष में जारी किया है (यदि कोई है), तो संवीक्षक के पास उसके सत्यापन के लिए सिस्टम में पीडीएफ प्रारूप में अपलोड की जानी चाहिए।

- वैकल्पिक रूप से गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों को विधिवत प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जो मतदान के लिए अधिकृत है, के अनुप्रमाणित नमूना हस्ताक्षर सहित प्रासंगिक बोर्ड संकल्प/ प्राधिकरण पत्र इत्यादि, संवीक्षक तथा बैंक को ई-मेल पते अर्थात scrutinizer@snaco.net तथा complianceofficer@psb.bank.in पर भेजना आवश्यक है यदि वे वैयक्तिक टैब से मतदान कर चुके हैं और जांच के लिए उसे संवीक्षक को सीडीएसएल ई-वोटिंग प्रणाली में अपलोड नहीं किया गया है।

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने और बैठक के दौरान ई-मतदान करने वाले शेयरधारकों के लिए निर्देश निम्नानुसार हैं:

1. ईजीएम के दिन बैठक में भाग लेने तथा ई-मतदान हेतु प्रक्रिया, दूरस्थ ई-मतदान के लिए ऊपर बताए गए निर्देशों के समान ही है।
2. बैठक में भाग लेने के लिए वीसी/ओएवीएम के लिए लिंक, दूरस्थ ई-मतदान के लिए ऊपर उल्लिखित निर्देशों के अनुसार सफल लॉगिन के बाद बैंक के ईवीएसएन प्रदर्शित किए जाने वाले स्थान पर उपलब्ध होगा।
3. दूरस्थ ई-मतदान के माध्यम से मतदान करने वाले शेयरधारक बैठक में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। हालांकि, वे ईजीएम में मतदान के पात्र नहीं होंगे।
4. शेयरधारकों से अनुरोध है कि बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप/ आईपैड के माध्यम से बैठक में भाग लें।
5. इसके अतिरिक्त, शेयरधारकों को कैमरा उपयोग की अनुमति देने तथा बैठक के दौरान किसी भी बाधा से बचने के लिए अच्छी गति के इंटरनेट के उपयोग की आवश्यकता होगी।
6. कृपया ध्यान दें कि मोबाइल हॉटस्पॉट से कनेक्ट करके मोबाइल उपकरणों या टेबलेट या लैपटॉप के माध्यम से जुड़ने वाले सहभागियों को अपने संबंधित नेटवर्क में विचलन के कारण ऑडियो/ विडियो घटने का अनुभव हो सकता है। किसी प्रकार के पूर्वान्तर गडबड़ी को कम करने के लिए स्थिर वाई-फाई या लेन कनेक्शन के उपयोग करने की अनुशंसा की जाती है।
7. शेयरधारक जो बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं/ प्रश्न पूछना चाहते हैं, **गुरुवार, 15 जनवरी, 2026** तक अपना नाम, डीमैट खाता संख्या/ फोलियो संख्या, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर समाविष्ट अपना अनुरोध स्पीकर के रूप में complianceofficer@psb.bank.in पर पंजीकृत करें।
8. वे शेयरधारक जो ईजीएम के दौरान विचार व्यक्त करनी चाहते हैं लेकिन उन्हें किसी विषय में जानकारी चाहिए तो **गुरुवार, 15 जनवरी, 2026** तक अपना नाम, डीमैट खाता संख्या/ फोलियो संख्या, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर समाविष्ट अपने प्रश्न complianceofficer@psb.bank.in पर भेजें। इन प्रश्नों के उत्तर बैंक द्वारा ई-मेल से समुचित रूप से दिया जाएगा।
9. जिन शेयरधारकों ने अपने को वक्ता के रूप में पंजीकृत किया है, बैठक के दौरान केवल उन्हें ही अपने विचार व्यक्त करने/ प्रश्न पूछने की अनुमति होगी। ईजीएम में समय की उपलब्धता के अनुरूप वक्ताओं की संख्या को बाधित करने का अधिकार बैंक के पास सुरक्षित है।
10. केवल वे शेयरधारक, जो वीसी/ ओएवीएम सुविधा के माध्यम से ईजीएम में उपस्थित हैं और जिन्होंने दूरस्थ ई-मतदान के माध्यम से संकल्पों पर अपना मतदान नहीं किया है और जिन्हें अन्यथा ऐसा करने से नहीं रोका गया है, ईजीएम के दौरान उपलब्ध ई-मतदान प्रणाली के माध्यम से मतदान के पात्र होंगे।
11. यदि ईजीएम के दौरान उपलब्ध ई-मतदान के माध्यम से किसी शेयरधारक द्वारा मतदान किया जाता है और उस शेयरधारक ने वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से बैठक में भाग नहीं लिया है तो ऐसे शेयरधारक द्वारा किए गए मतदान को अमान्य माना जाएगा क्योंकि बैठक के दौरान ई-मतदान की सुविधा केवल बैठक में भाग लेने वाले शेयरधारकों के लिए उपलब्ध है।

जिन शेयरधारकों के ई-मेल/मोबाइल नंबर, बैंक अथवा निक्षेपागारों के पास पंजीकृत नहीं है, उनके लिए प्रक्रिया :

1. मूर्त शेयरधारकों के लिए – कृपया complianceofficer@psb.bank.in/investor.helpdesk@in.mpms.mufg.com को ई-मेल द्वारा आवश्यक विवरण यथा फोलियो संख्या, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाण-पत्र की स्कैन प्रति (अग्र और पश्च), पैन (पैन कार्ड की स्व अनुप्रमाणित स्कैन प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व अनुप्रमाणित स्कैन प्रति) उपलब्ध कराएं।
2. डीमैट शेयरधारकों के लिए – कृपया अपने संबंधित निक्षेपागार सहभागी (DP) के पास अपना मेल आईडी तथा मोबाइल नंबर अद्यतित कराएं।
3. **वैयक्तिक डीमैट शेयरधारकों के लिए** - कृपया अपने संबंधित निक्षेपागार सहभागी (डीपी) के पास अपना मेल आईडी तथा मोबाइल नंबर अद्यतित करें जो ई-मतदान करने तथा डिपॉजिटरी के माध्यम से आभासी बैठक में शामिल होने के लिए अनिवार्य है।

यदि आपको ईजीएम में भाग लेने एवं सीडीएसएल ई-मतदान प्रणाली से ई-मतदान के संबंध में किसी प्रकार की जिज्ञासा या प्रश्न है तो helpdesk.evoting@cdslindia.com पर मेल कर सकते हैं या टोल-फ्री नंबर 1800 21 09911 पर संपर्क कर सकते हैं।

इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा मतदान की सुविधा से जुड़ी सभी शिकायतों के लिए श्री राकेश दल्वी, वरिष्ठ प्रबंधक, (सीडीएसएल) केंद्रीय डिपॉजिटरी सर्विस (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वाँ तल, मैराथन फ्लूचरैक्स, मफतलाल मिल कंपाउंड, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई-400013 पर संपर्क करें या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर मेल करें या टोल-फ्री नंबर 1800 21 09911 पर संपर्क करें।

9) संवीक्षक

निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई-मतदान प्रक्रिया की संवीक्षा के लिए बैंक द्वारा मेसर्स एस. एन. अनंतसुब्रमण्यम एण्ड कंपनी, कंपनी सचिवों को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

संवीक्षक ईजीएम संपत्र होने के 48 घंटे के भीतर, बैठक के अध्यक्ष को कुल डाले गए मतदान पर समेकन संवीक्षक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और अध्यक्ष या उसके द्वारा लिखित में प्राधिकृत व्यक्ति उस पर प्रतिहस्ताक्षर करेंगे तथा शेयर बाजारों एवं बैंक वेबसाइट पर संवीक्षक रिपोर्ट सहित परिणाम डालकर तत्काल मतदान के परिणाम की घोषणा करेंगे।

10) पता में परिवर्तन/ लाभांश अधिदेश

- a) सूचना/संचार प्रेषण के लिए बैंक, एनएसडीएल/सीडीएसएल के पास पंजीकृत और संबंधित निक्षेपागारों से आरटीए द्वारा डाउनलोड किए गए पते के विवरण का उपयोग करेगा। इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि डीमैट खाते में पंजीकृत अपने पते को संबंधित निक्षेपागार सहभागी के पास अद्यतित कराएं जिससे वह यथासमय अद्यतित हो सके। बैंक या उसके रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट, पते में किसी भी परिवर्तन के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से प्राप्त किसी भी अनुरोध पर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार के किसी भी परिवर्तन के लिए शेयरधारकों के निक्षेपागार सहभागी से ही अनुरोध किया जाए।

- b) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे पते में किसी भी परिवर्तन के विषय में वैध दस्तावेजी साक्ष्य और विधिवत हस्ताक्षरित औपचारिक अनुरोध आवेदन, बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट अर्थात मेसर्स एमएफयूजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को प्रस्तुत करें। इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को अपने संबंधित निक्षेपागार सहभागी के पास ही पते में परिवर्तन के लिए अनुरोध करना होगा न कि बैंक या बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट के पास।
- c) शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बैंक या बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट के साथ किसी भी पत्राचार में अपने संबंधित फोलियो नंबर (मूर्त रूप में शेयर धारण करने वालों के लिए) और अपने संबंधित डीपी आईडी/ क्लाइंट आईडी नंबर (इलेक्ट्रॉनिक/ डीमैट फॉर्म में शेयर रखने वालों के लिए) अवश्य उद्धृत करें।

11) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों द्वारा पैन, नामांकन, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण और नमूना हस्ताक्षर प्रस्तुत करना

सेबी ने परिपत्र सं. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD- PoD-1/P/CIR/2023/37 दिनांकित 16 मार्च 2023 के माध्यम से निम्न परामर्श दिया है:

- a) सूचीबद्ध कंपनियों में मूर्त प्रतिभूतियों के सभी धारकों के लिए पैन, नामांकन, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण और उनके संबंधित फोलियो नंबर के लिए नमूना हस्ताक्षर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- b) जिन फोलियो में उपरोक्त उद्धृत दस्तावेज़/विवरणों में से कोई भी 01 अक्टूबर, 2023 को या उसके बाद उपलब्ध नहीं है, उन्हें आरटीए द्वारा अवरुद्ध कर दिया जाएगा।
- c) प्रतिभूतिधारक जिनके फोलियो अवरुद्ध/कीलन कर दिए गए हैं वे निम्नलिखित के लिए पात्र होंगे: (1) उपरोक्त पैरा 1 में उल्लिखित पूर्ण दस्तावेज़/ विवरण प्रस्तुत करने के बाद ही आरटीए से शिकायत दर्ज करने या किसी सेवा अनुरोध का लाभ उठाने के लिए। (2) 01 अप्रैल, 2024 से केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से इस प्रकार अवरुद्ध/कीलन फोलियो के संबंध में लाभांश, व्याज या मोचन भुगतान सहित किसी भी भुगतान के लिए।
- d) यदि फोलियो, 31 दिसंबर 2025 तक अवरुद्ध/कीलन रहते हैं तो बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम, 1988 और/या धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत आरटीए बैंक द्वारा उनकी सूचना प्रशासी प्राधिकारी को दी जाएगी।

12) शेयरधारकों के लिए संपर्क विवरण

इस संचार के किसी भी मामले या पंजाब एण्ड सिंथ बैंक के शेयर/लाभांशों से संबंधित किसी भी अन्य मुद्दे पर स्पष्टीकरण/ सहायता के लिए आप निम्नलिखित पते पर हमसे/ आरटीए से संपर्क कर सकते हैं (कृपया अपने पत्राचार में फोलियो संख्या/ दूरभाष नंबर/ मोबाइल नंबर उद्धृत करें)

<p>एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्रा. लिमिटेड</p> <p>यूनिट : पंजाब एण्ड सिंथ बैंक, नोबल हाइट्स, प्रथम तल</p> <p>प्लॉट नं. एनएच 2, एलएससी, सी-1 ब्लॉक, सावित्री मार्केट के समीप</p> <p>जनकपुरी, नई दिल्ली-110058</p> <p>फोन: +91 11 4141 0592, 93, 94, फैक्स: +91 11 4141 0591</p> <p>ई-मेल : investor.helpdesk@in.mpms.mufg.com</p>	<p>कंपनी सचिव</p> <p>पंजाब एण्ड सिंथ बैंक, एनबीसीसी कार्यालय कॉम्प्लेक्स</p> <p>प्रथम तल, ब्लॉक 3, पूर्वी किंदवर्इ नगर,</p> <p>नई दिल्ली-110023, टेलीफोन: 011-40175169,</p> <p>ई-मेल: complianceofficer@psb.bank.in</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

सेबी ने परिपत्र संख्या SEBI/HO/MIRSD/MIRSD- PoD-1/P/CIR/2023/72 दिनांकित 08 जून, 2023 के माध्यम से आरटीए को सेवा अनुरोधों/ शिकायतों के लिए उपयोगकर्ता-अनुकूल ऑनलाइन व्यवस्था या पोर्टल स्थापित करने की सलाह दी थी।

सेबी के परामर्श अनुसार, बैंक आरटीए (मेसर्स एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) ने नवीनतम निवेशक स्व-सेवा पोर्टल 'SWAYAM' आरंभ किया है।

'SWAYAM' एक सुरक्षित, उपयोगकर्ता-अनुकूल वेब आधारित एप्लिकेशन है जो शेयरधारकों को विभिन्न सेवाओं तक सुगम पहुंच के लिए सक्षम करता है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि एप्लिकेशन पर अपना पंजीकरण करें और पोर्टल का प्रत्यक्ष अनुभव लें।

एप्लिकेशन को <https://swayam.in.mpms.mufg.com/> पर एक्सेस किया जा सकता है।

- सेवा अनुरोध का प्रभावी समाधान - SWAYAM के माध्यम से सेवा अनुरोध/शिकायत करें और उसकी स्थिति प्राप्त करें।
- विशेषताएं - उपयोगकर्ता-अनुकूल जीयूआई।
- कॉरपोरेट कार्रवाई यथा लाभांश/ ब्याज/ बोनस/ विभक्त की स्थिति देखें।
- पैन आधारित निवेश - पैन से संबद्ध खातों, कंपनीवार धारिता और प्रतिभूति मूल्यांकन तक पहुंच प्रदान करता है।
- अदत्त राशि के लिए सहजतापूर्वक अनुरोध करें।
- स्वयं सेवा पोर्टल - अमूर्त रूप में धारित प्रतिभूतियों और मूर्त प्रतिभूतियों के लिए, जिनके फोलियो केवाईसी अनुरूप हैं।
- विवरणी - संपूर्ण धारिता और कॉरपोरेट लाभ की स्थिति का अवलोकन करें।
- लॉगिन पर द्विकारक प्रमाणीकरण (2FA) - निवेशकों के लिए सुरक्षा उन्नत करता है।

13) भौतिक धारिता का अमूर्तीकरण - विशेष अनुरोध

- a) सेबी ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति संख्या 12/2019 दिनांकित 27.03.2019 के माध्यम से निर्णय लिया है कि प्रतिभूतियों के प्रेषण या रूपांतरण के प्रकरण के अतिरिक्त, प्रतिभूतियों के प्रभावी हस्तांतरण के अनुरोधों पर तब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक कि प्रतिभूतियां दिनांक 01.04.2019 से निष्केपागार के पास अमूर्त में नहीं रखी जाती हैं। इसलिए शेयरधारकों से अनुरोध हैं कि वे अपनी भौतिक धृति को अविलंब अमूर्त कराएं।
- b) सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियमन 40 (1) के अनुसार मूर्त रूप में धारित प्रतिभूतियों का अंतरण दिनांक 01.04.2019 से समाप्त कर दिया गया है। तदनुसार शेयरों का अंतरण उसी स्थिति में किया जा सकता है जब शेयर गैर-कागज़ी (डीमैट) रूप में रखे गए हों।
- c) आगे, सेबी ने परिपत्र संख्या SEBI/HO/MIRSD_RTAMB/P/ CIR/2022/8 दिनांकित 25 जनवरी 2022 के माध्यम से निर्णय लिया है कि प्रतिरूप शेयर प्रमाण-पत्र, प्रेषण, रूपांतरण इत्यादि के अनुरोधों को संसाधित करते समय सूचीबद्ध कंपनियां भविष्य में केवल अमूर्त रूप में प्रतिभूतियां जारी करेंगी। उपरोक्त के मद्देनज़र, भौतिक रूप से शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि अपनी धृति को अमूर्तीकृत करें। शेयरों को डीमैट रूप में रखने के प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं:

- i) भौतिक शेयर प्रमाण-पत्र के क्षति या नष्ट होने की संभावना समाप्त हो गई है;
- ii) शेयर प्रमाण-पत्रों के फाइने या कूट रचना या विकृत करने की संभावना समाप्त हो जाती है;
- iii) अमूर्तीकरण, शेयरों के कागज रहित ट्रेडिंग की सुगमता और सुविधा प्रदान करता है। एक बार निक्षेपागार सहभागी (डीपी) के पास डीमैट खाता खुलने के बाद, शेयरधारक सुगमतापूर्वक इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर खरीद या बेच सकते हैं।

14) मूर्त रूप में धारित शेयरों के अमूर्तीकरण के लिए प्रक्रिया

विद्यमान शेयर प्रमाण-पत्रों के विवरण में किसी प्रकार का संशोधन न होने की स्थिति में अमूर्तीकरण की प्रक्रिया निम्नानुसार है :

A. डीमैट खाता धारण न करने वाले शेयरधारकों हेतु :

- शेयरधारक को निकटतम निक्षेपागार सहभागी (डीपी) से संपर्क करना होगा तथा शेयरधारक (ओं) को पंजाब एण्ड सिंध बैंक में शेयरधारिता के अनुसार ही अपने नाम व विशिष्टता से डीमैट खाता खोलना होगा।
- डीमैट खाता खोलने के पश्चात शेयरधारक को मूल शेयर प्रमाणपत्र (ओं) के साथ विधिवत भरे हुए व हस्ताक्षरित डीमैट अनुरोध फॉर्म (डीआरएफ), डीपी को सौंपना होगा, जो इसे बैंक के आरटीए को अप्रेषित करेंगे।
- आरटीए, डीआरएफ की जांच/ सत्यापन करेगा और उचित पाए जाने पर शेयरों को समकक्ष संख्या में शेयरधारक (ओं) के डीमैट खाते में क्रेडिट करेगा।

B. डीमैट खाता धारण करने वाले शेयरधारक हेतु :

- जिन शेयरधारकों के पास पहले से ही डीमैट खाता है, उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि पंजाब एण्ड सिंध बैंक में शेयरधारिता के अनुसार ही उनके नाम व विशिष्टता से विद्यमान डीमैट खाता अनुरक्षित किया गया है। यदि हाँ तो शेयरधारक (ओं) को मूल शेयर प्रमाणपत्र (ओं) के साथ विधिवत भरे हुए व हस्ताक्षरित डीआरएफ, डीपी को प्रस्तुत करना होगा, जो इसे बैंक के आरटीए को अप्रेषित करेंगे।
- आरटीए, डीआरएफ की जांच/ सत्यापन करेगा और उचित पाए जाने पर शेयरों को समकक्ष संख्या में शेयरधारक (ओं) के डीमैट खाते में क्रेडिट करेगा।
- यदि विद्यमान डीमैट खाता, शेयरधारिता के अनुसार समान नामक्रम में नहीं है तो शेयरधारक (ओं) को मार्गदर्शन के लिए अपने डीपी से संपर्क करना होगा।
- यदि विद्यमान शेयर प्रमाणपत्रों के विवरण में परिवर्तन होता है तो ऊपर उल्लिखित पते पर बैंक के आरटीए अर्थात मेसर्स एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड या बैंक से संपर्क करें।

15) अन्य जानकारी

- a) शेयरधारक जो नामों के समान क्रम में समरूप नाम या संयुक्त नाम में कई फोलियो में भौतिक रूप में शेयर रखते हैं, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे एक ही फोलियो में समेकन के लिए अपने शेयर प्रमाणपत्र, आरटीए को भेजें।

b) बैंक द्वारा प्रारंभ किए गए 'हरित पहल' के मद्देनजर शेयरधारकों से अनुरोध है कि डीमैट रूप में धारित शेयरों के लिए अपने संबंधित डिपॉजिटरी सहभागी के पास तथा भौतिक रूप में शेयर धारित होने पर बैंक के आरटीए (आरटीए की ई-मेल आईडी : investor.helpdesk@in.mpms.mufg.com) के पास अपना ईमेल आई-डी पंजीकृत करें। इसके अतिरिक्त नाम, डाक-पता, ई-मेल पता, दूरभाष/मोबाइल नंबर, स्पाई खाता संख्या (पैन), अनुदेश, नामांकन, बैंक विवरण जैसे – बैंक का नाम तथा शाखा विवरण, बैंक खाता संख्या, एमआईसीआर कोड, आईएफएससी कूट इत्यादि से संबंधित किसी प्रकार के परिवर्तन की स्थिति में इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयरधारक उसकी सूचना अपने डीपी को दें तथा भौतिक रूप में शेयरधारक आरटीए को सूचित करें।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा
कृते पंजाब एण्ड सिंध बैंक

स्थान : नई दिल्ली

(साकेत मेहरोत्रा)

दिनांक : 30 दिसंबर, 2025

कंपनी सचिव

व्याख्यात्मक विवरणी

मद संखा 1 : अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन के माध्यम से इकिटी शेयरों का निर्गमन

- लगातार बदलते व्यवसाय परिदृश्य में अपने बढ़ते व्यवसाय स्तर को पूरा करने, बेसल-III मानदंडों का अनुपालन करने तथा न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता आवश्यकता के लिए बैंक को अतिरिक्त पूँजी की जरूरत है।
- बेसल III पूँजी विनियम और परिणामी पूँजी प्रभार के संदर्भ में निधियों की बढ़ती पूँजी आवश्यकता को पूरा करने के लिए तथा सामान्य उधार उद्देश्यों के लिए जैसा कि बोर्ड द्वारा तय किया जा सकता है, बैंक ने बैंक की पूँजी पर्याप्तता में सुधार करने और बैंक की सामान्य व्यावसायिक आवश्यकताओं को वित्तपोषित करने के लिए धन जुटाने का प्रस्ताव रखा है।
- नोटिस में प्रस्तावित विशेष संकल्प, आईसीडीआर विनियम के अध्याय VI के अंतर्गत अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन के माध्यम से अर्हता प्राप्त संस्थागत क्रेताओं को ₹3000 करोड़ (रुपये तीन हजार करोड़ मात्र) (प्रीमियम सहित) तक की राशि के इकिटी शेयर जारी करने से संबंधित है।
- चूंकि बैंक के इकिटी शेयर, सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अनुसार शेयर बाजारों में सूचीबद्ध हैं इसलिए यह आवश्यक है कि यदि शेयरधारकों को आनुपातिक आधार पर प्रतिभूति का प्रस्ताव नहीं दिया जाता है तो किसी भी नई प्रतिभूति के निर्गमन के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन आवश्यक है।
- ध्यातव्य है कि शेयरधारकों के अनुमोदन के अतिरिक्त अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी) आदि के माध्यम से इकिटी शेयरों का निर्गमन, इस संबंध में समस्त विधिक, नियामक या किसी अन्य लागू दिशा-निर्देशों के अनुपालन के अधीन होगा।
- इकिटी शेयर जारी करने के लिए विस्तृत निबंधन और शर्तें, जब कभी बनाई जाएंगी, व्यापारी बैंकों, अग्रणी प्रबंधकों, सलाहकारों और ऐसे अन्य प्राधिकरणों के परामर्श से बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएंगी, जिन पर विद्यमान बाजार स्थितियों व अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए बैंक द्वारा विचार किया जाना अपेक्षित हो सकता है। विशेष संकल्प का उद्देश्य बोर्ड को ऐसे समय या समयों पर, ऐसे मूल्य या मूल्यों पर और ऐसे निवेशकों को, जिनका उल्लेख बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से करता है, एक या अधिक किस्तों में इकिटी शेयर जारी करने का अधिकार प्रदान करना है।
- निदेशक मंडल, नोटिस में उल्लिखित विशेष संकल्प को आपके अनुमोदन हेतु अनुशंसित करता है।
- बैंक का कोई भी निदेशक अथवा प्रमुख प्रबंधकीय कर्मिक, बैंक में शेयरधारिता के अतिरिक्त इस विशेष संकल्प से संबद्ध या हितार्थी नहीं है।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा
कृते पंजाब एण्ड सिंध बैंक

स्थान : नई दिल्ली

(साकेत मेहरोत्रा)

दिनांक : 30 दिसंबर, 2025

कंपनी सचिव



NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN that an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Punjab & Sind Bank will be held through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) on **Wednesday, the 21st day of January, 2026** at 11.00 a.m. to transact the following business:

Item No 1:

To seek approval of shareholders to create, offer, issue and allot Fresh Equity Shares of Face Value of Rs10/- (Rupees Ten only) each up to an amount of Rs.3000 crore (including premium) by way of Qualified Institutional Placement, on such terms and conditions as may be decided by the Board/Committee in its absolute discretion and to consider and if thought fit, pass the following as Special Resolution:

“RESOLVED THAT pursuant to Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1980 (herein referred to as “**the Act**”), Banking Regulation Act, 1949 (herein referred to as “**Banking Act**”), Punjab & Sind Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2008 (herein referred to as the “**Regulations**”), the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, as amended (herein referred to as “**SEBI (ICDR) Regulations**”), the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Foreign Exchange Management (Non-Debt Instruments) Rules, 2019 as amended and in accordance with the applicable rules, regulations, guidelines, circulars and clarifications issued by Government of India (“**GOI**”), Reserve Bank of India (“**RBI**”), Securities and Exchange Board of India (“**SEBI**”) and / or any other competent authorities and subject to any other applicable laws, rules and regulations (including any amendment thereto or re-enactment thereof for the time being in force), the Listing agreements entered into by the Bank with stock exchanges where equity shares of the bank are listed, SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (herein referred to as “**SEBI (LODR)**”), any approval, consent permissions or sanctions of other concerned authorities and such terms, conditions and modifications as may be prescribed by any of them while granting such approvals, consent, permissions or sanctions and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank (herein referred to as “**the Board**” which term shall include any committee constituted by the Board), consent be and is hereby granted to the Board to create, offer, issue and allot by way of Qualified Institutional Placement under Chapter VI of ICDR Regulations, whether they be holders of the shares of the Bank or not as may be approved by GOI / RBI and as may be decided by the Board in their discretion and permitted under the applicable laws and regulations for an aggregate amount not exceeding Rs.3000 crore (Rupees Three Thousand crore only) at such time or times, at such price including premium in such manner and on such terms and conditions as may be deemed appropriate by the Board at its absolute discretion including the discretion to determine the categories of investors to whom the offer, issue and allotment considering the prevailing market conditions and other relevant factors and wherever necessary in consultation with lead managers(s) and / or underwriter(s) and / or other advisor(s) as the Board may in its absolute discretion deem fit or appropriate.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Equity shares issued shall rank *pari-passu* with the existing shares of the Bank including dividend.”

“RESOLVED FURTHER THAT in case of Qualified Institutional Placement pursuant to Chapter VI of ICDR Regulations:

- a. the allotment of Securities shall only be to Qualified Institutional Buyers within the meaning of Chapter VI of the ICDR Regulations, such securities shall be fully paid-up and the allotment of such securities shall be completed within 12 months from the date of this resolution.
- b. The Bank is, pursuant to Regulation 176(1) of ICDR Regulations, authorized to offer shares at a discount of not more than five percent on the floor price as determined in accordance with the Regulations
- c. The relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the ICDR Regulations”

“RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above Resolutions, the Board be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things including but not limited to finalization and approval of the

draft as well as final offer document(s) determining the form and manner of the issue, including the class of investors to whom the Equity Shares are to be issued and allotted, number of Equity Shares to be allotted, issue price, premium amount on issue as it may in its absolute discretion deem fit and to settle all questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the issue, offer or allotment of shares and utilization of the issue proceeds as it may in its absolute discretion deem fit without being required to seek any further consent or approval of members or otherwise to the end and intent that the members shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this Resolution.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to engage / appoint Lead Managers, Legal Advisors, Underwriters, Bankers, Advisors as may be necessary and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of Equity Shares and to remunerate them by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies and to seek the listing of Equity Shares issued such on the stock exchanges where the Equity Shares of the Bank are listed.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to form a committee of Directors to delegate all or any of its powers to a Committee of Directors / Managing Director & Chief Executive Officer / Executive Director(s) / Company Secretary / other person authorized by the Board to give effect to the aforesaid Resolution and is authorized to take such steps and to do all such acts, deeds, matters, things and accept any alterations(s) or amendments(s) as they may deem fit and proper and give such directions as may be necessary to settle any question or difficulty that may arise in regard to issue and allotment of Equity Shares including but not limited to:

- i. Approving the draft / final offer documents and filing the same with any other authority or persons as may be required;
- ii. Approving the issue price, the number of Equity Shares to be allotted, the basis of allocation and allotment of Equity Shares;
- iii. Arranging, the delivery and execution of all contracts, agreements and all other documents, deeds and instruments as may be required or desirable in connection with the issue of Equity Shares;
- iv. Opening such Bank Accounts as may be required for the offering;
- v. To do all such acts, deeds, matters and things and execute all such other documents and pay all such fees, as it may, in its absolute discretion, deem necessary or desirable for the purpose of the transaction;
- vi. To make all such necessary applications with the appropriate authorities and make the necessary regulatory filings in this regard;
- vii. Making applications for listing of the Equity Shares of the Bank on the stock exchanges(s) where the equity shares of the Bank are listed.

By order of the Board of Directors
For PUNJAB & SIND BANK

Place: New Delhi
Date: 30 December, 2025

Saket Mehrotra
Company Secretary

NOTES:

1. EXTRAORDINARY GENERAL MEETING THROUGH VIDEO CONFERENCING

Pursuant to the circulars issued by MCA (Ministry of Corporate Affairs), the Extraordinary General Meeting (EGM) of the shareholders of the Bank is being conducted through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) which does not require the physical presence of the members at a common venue. The deemed venue for the EGM shall be the Head Office of the Bank at New Delhi. Shareholders attending the EGM through VC / OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Regulation 58 of Punjab & Sind Bank (Shares & Meeting) Regulations, 2008. As the EGM will be held through VC / OAVM, the Route Map is not annexed in this notice as required under Secretarial Standard 2.

2. VOTING RIGHTS:

In terms of the provisions of Section 3(2E) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, as amended, no shareholder of the Bank other than the Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of the shares held by him in excess of 10% of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

If any share stands in the name of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof.

In terms of Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, shareholders entitled to attend and vote at the meeting, can exercise their voting rights through electronic means.

3. APPOINTMENT OF PROXIES:

A shareholder entitled to attend and vote at the meeting, is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself / herself and such a proxy need not be a shareholder of the Bank. However, in accordance with the aforesaid relaxations for convening of the EGM through VC/OAVM, physical attendance of shareholders has been dispensed with. Accordingly, the facility for appointment of proxy by shareholders is not available for this EGM and the Proxy Form and Attendance Slip are not annexed to this notice.

4. APPOINTMENT OF AUTHORISED REPRESENTATIVE(S):

No person shall be entitled to attend the meeting through VC / OAVM and / or vote through e-voting as duly authorized representative of a body corporate, unless a certified true copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative of a company/entity is deposited at the Corporate Office of the Bank with the Company Secretary, Punjab & Sind Bank, NBCC Office Complex, 1st Floor, Block 3, East Kidwai Nagar, New Delhi – 110023 or has been sent by email to the scrutinizer at scrutinizer@snaco.net with copy marked to complianceofficer@psb.bank.in not later than four days before the date of meeting i.e. on or before **5.00 p.m. on Friday, 16th January 2026**.

No officer or employee of the Bank shall be appointed as the Authorised Representative of a shareholder.

5.

The notice of the meeting is available for downloading from the website of the Bank viz. <https://punjabandsind.bank.in/> (Investor Info Page), on the website of BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com.

6. EXPLANATORY STATEMENT

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto and forms part of the notice.

7. COMMUNICATION WITH THE SHARE TRANSFER AGENT:

Shareholders holding shares in physical form are requested to intimate changes/update, if any, in their email address, postal address, bank details etc. to Share Transfer Agent of the Bank at the following address to receive all communication through electronic mode:

MUFG Intime India Pvt Ltd.

Unit: Punjab & Sind Bank

Noble Heights, 1st Floor, Plot No. NH 2, LSC, C-1 Block,
Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi-110058

Phone: +91 11 4141 0592, 93, 94 Fax: +91 11 4141 0591

Email: investor.helpdesk@in.mpms.mufg.com

Shareholders holding shares in dematerialised form are requested to intimate changes/ update, if any, in their email address, postal address, bank details etc. to their depository participants, to receive all communication through electronic mode.

8. VOTING THROUGH ELECTRONIC MEANS

- I. Pursuant to Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Listing Agreement with Stock Exchanges and provisions under Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended read with MCA Circulars, the Bank is pleased to provide its shareholders facility to exercise their right to vote in respect of the business to be transacted at the EGM by electronic means (remote e-voting and e-voting during the EGM) through the e-voting platform provided by Central Depository Services Limited (CDSL).
- II. **Cut-Off Date:** The Bank has fixed **Wednesday, the 14th January 2026** as the specified date / cut-off date for attendance at the meeting and voting.
- III. Those shareholders, who will be present in the EGM through VC / OAVM facility and have not cast their vote on Election / other agenda items, as the case may be, through remote e-voting shall be eligible to vote through e-voting system during the EGM.
- IV. The shareholders who have cast their vote by remote e-voting prior to the meeting may also attend the meeting through VC / OAVM but shall not be entitled to cast their vote again.
- V. The Members can join the EGM in the VC/OAVM mode 15 minutes before and after the scheduled time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the Notice. The facility of participation at the EGM through VC/OAVM will be made available to atleast 1000 members on first come first served basis. This will not include large Shareholders (Shareholders holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc. who are allowed to attend the EGM without restriction on account of first come first served basis.

VI. THE INSTRUCTIONS OF SHAREHOLDERS FOR E-VOTING AND JOINING VIRTUAL MEETINGS ARE AS UNDER:

Step 1 : Access through Depositories CDSL/NSDL e-Voting system in case of individual shareholders holding shares in demat mode.

Step 2 : Access through CDSL e-Voting system in case of shareholders holding shares in physical mode and non-individual shareholders in demat mode.

- i. The remote e-voting period begins at **10.00 am, on Saturday, 17th January, 2026** and ends at **5.00 pm on Tuesday, 20th January, 2026**. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. During this period, shareholders of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form as on the specified date / cut-off date may cast their vote electronically.
- ii. Pursuant to SEBI Circular No. **SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated 09.12.2020**, under Regulation 44 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, listed entities are required to provide remote e-voting facility to its shareholders, in respect of all shareholders' resolutions. However, it has been observed that the participation by the public non-institutional shareholders/retail shareholders is at a negligible level. Currently, there are multiple e-voting service providers (ESPs) providing e-voting facility to listed entities in India. This necessitates registration on various ESPs and maintenance of multiple user IDs and passwords by the shareholders. In order to increase the efficiency of the voting process, pursuant to a public consultation, it has been decided to enable e-voting to **all the demat account holders, by way of a single login credential, through their demat accounts/ websites of Depositories/ Depository Participants**. Demat account holders would be able to cast their vote without having to register again with the ESPs, thereby, not only facilitating seamless authentication but also enhancing ease and convenience of participating in e-voting process.
- iii. In terms of **SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated December 9, 2020** on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are advised to update their mobile number and email Id in their demat accounts in order to access e-Voting facility.

Pursuant to above SEBI Circular, Login method for e-Voting and joining virtual meetings **for Individual shareholders holding securities in Demat mode CDSL/NSDL** is given below:

Type of shareholders	Login Method
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with CDSL Depository	<ol style="list-style-type: none"> 1) Users who have opted for CDSL Easi / Easiest facility, can login through their existing user id and password. Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication. The users to login to Easi / Easiest are requested to visit CDSL website www.cDSLindia.com and click on login icon & New System Myeasi Tab. 2) After successful login the Easi / Easiest user will be able to see the e-Voting option for eligible companies where the e-voting is in progress as per the information provided by company. On clicking the e-voting option, the user will be able to see e-Voting page of the e-Voting service provider for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. Additionally, there is also link provided to access the system of all e-Voting Service Providers, so that the user can visit the e-Voting service providers' website directly. 3) If the user is not registered for Easi/Easiest, option to register is available at CDSL website www.cDSLindia.com and click on login & New System Myeasi Tab and then click on registration option. 4) Alternatively, the user can directly access e-Voting page by providing Demat Account Number and PAN No. from the e-Voting link available on www.cDSLindia.com home page. The system will authenticate the user by sending OTP on registered Mobile & Email as recorded in the Demat Account. After successful authentication, user will be able to see the e-Voting option where the e-voting is in progress and also be able to directly access the system of all e-Voting Service Providers.
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL Depository	<ol style="list-style-type: none"> 1) If you are already registered for NSDL IDeAS facility, please visit the e-Services website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://eservices.nsdl.com either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Services is launched, click on the “Beneficial Owner” icon under “Login” which is available under ‘IDeAS’ section. A new screen will open. You will have to enter your User ID and Password. After successful authentication, you will be able to see e-Voting services. Click on “Access to e-Voting” under e-Voting services and you will be able to see e-Voting page. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be re-directed to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. 2) If the user is not registered for IDeAS e-Services, option to register is available at https://eservices.nsdl.com. Select “Register Online for IDeAS “Portal or click at https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp 3) Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon “Login” which is available under ‘Shareholder/Member’ section. A new screen will open. You will have to enter your User ID (i.e. your sixteen digit demat account number held with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.

	<p>4) For OTP based login you can click on https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/evoting/evotinglogin.jsp. You will have to enter your 8-digit DP ID, 8-digit Client Id, PAN No., Verification code and generate OTP. Enter the OTP received on registered email id/mobile number and click on login. After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be re-directed to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.</p>
Individual Shareholders (holding securities in demat mode) login through their Depository Participants (DP)	You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-Voting facility. After Successful login, you will be able to see e-Voting option. Once you click on e-Voting option, you will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after successful authentication, wherein you can see e-Voting feature. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.

Important note: Members who are unable to retrieve User ID/ Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at abovementioned website.

Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. CDSL and NSDL

Login type	Helpdesk details
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with CDSL	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800 21 09911
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with NSDL	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at toll free no.: 022-4886 7000 and 022-2499 7000

Step 2 : Access through CDSL e-Voting system in case of shareholders holding shares in physical mode and non-individual shareholders in demat mode.

iv. Login method for e-Voting and joining virtual meetings for **Physical shareholders and shareholders other than individual holding in Demat form**.

- 1) The shareholders should log on to the e-voting website www.evotingindia.com.
- 2) Click on “Shareholders” module.
- 3) Now enter your User ID
 - a. For CDSL: 16 digits beneficiary ID,
 - b. For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,
 - c. Shareholders holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Bank.
- 4) Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.
- 5) If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier e-voting of any company, then your existing password is to be used.
- 6) If you are a first-time user follow the steps given below:

	For Physical shareholders and other than individual shareholders holding shares in Demat.
PAN	<p>Enter your 10 digit alpha-numeric *PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Shareholders who have not updated their PAN with the Bank/Depository Participant are requested to use the sequence number sent by Bank/RTA or contact Bank/RTA.

Dividend Bank Details OR Date of Birth (DOB)	Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as recorded in your demat account or in the Bank records in order to login. <ul style="list-style-type: none"> If both the details are not recorded with the depository or Bank, please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field.
--------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- v. After entering these details appropriately, click on “SUBMIT” tab.
- vi. Shareholders holding shares in physical form will then directly reach the Company selection screen. However, shareholders holding shares in demat form will now reach ‘Password Creation’ menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
- vii. For shareholders holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolutions contained in this Notice.
- viii. Click on the EVSN of Punjab & Sind Bank on which you choose to vote.
- ix. On the voting page, you will see “RESOLUTION DESCRIPTION” and against the same the option “YES/NO” for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.
- x. Click on the “RESOLUTIONS FILE LINK” if you wish to view the entire Resolution details.
- xi. After selecting the resolution, you have decided to vote on, click on “SUBMIT”. A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on “OK”, else to change your vote, click on “CANCEL” and accordingly modify your vote.
- xii. Once you “CONFIRM” your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.
- xiii. You can also take a print of the votes cast by clicking on “Click here to print” option on the Voting page.
- xiv. If a demat account holder has forgotten the login password then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.
- xv. There is also an optional provision to upload BR/POA if any uploaded, which will be made available to scrutinizer for verification.

xvi. Additional Facility for Non – Individual Shareholders and Custodians – For Remote Voting only.

- Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodians are required to log on to www.evotingindia.com and register themselves in the “Corporates” module.
- A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
- After receiving the login details a Compliance User should be created using the admin login and password. The Compliance User would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.
- The list of accounts linked in the login will be mapped automatically & can be delink in case of any wrong mapping.
- It is Mandatory that, a scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.
- Alternatively Non Individual shareholders are required mandatory to send the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorized signatory who are authorized to vote, to the Scrutinizer and to the Bank at the email address viz; scrutinizer@snaco.net and complianceofficer@psb.bank.in, if they have voted from individual tab & not uploaded same in the CDSL e-voting system for the scrutinizer to verify the same.

INSTRUCTIONS FOR SHAREHOLDERS ATTENDING THE EGM THROUGH VC/OAVM & E-VOTING DURING MEETING ARE AS UNDER:

- The procedure for attending meeting & e-Voting on the day of the EGM is same as the instructions mentioned above for e-voting.
- The link for VC/OAVM to attend meeting will be available where the EVSN of Bank will be displayed after successful login as per the instructions mentioned above for e-voting.

3. Shareholders who have voted through Remote e-Voting will be eligible to attend the meeting. However, they will not be eligible to vote at the EGM.
4. Shareholders are encouraged to join the Meeting through Laptops / iPads for better experience.
5. Further shareholders will be required to allow Camera and use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.
6. Please note that Participants Connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to Fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.
7. Shareholders who would like to express their views/ask questions during the meeting may register themselves as a speaker by sending their request in advance by **Thursday, 15th January 2026** mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at complianceofficer@psb.bank.in.
8. The shareholders who do not wish to speak during the EGM but have queries may send their queries in advance by **Thursday, 15th January 2026** mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at complianceofficer@psb.bank.in. These queries will be replied to by the Bank suitably by email.
9. Those shareholders who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their views/ask questions during the meeting. The Bank reserves the right to restrict the number of speakers depending on the availability of time for the EGM.
10. Only those shareholders, who are present in the EGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system available during the EGM.
11. If any Votes are cast by the shareholders through the e-voting available during the EGM and if the same shareholders have not participated in the meeting through VC/OAVM facility, then the votes cast by such shareholders may be considered invalid as the facility of e-voting during the meeting is available only to the shareholders attending the meeting.

PROCESS FOR THOSE SHAREHOLDERS WHOSE EMAIL/MOBILE NO. ARE NOT REGISTERED WITH THE BANK/DEPOSITORIES.

1. For Physical shareholders – please provide necessary details like Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by email to complianceofficer@psb.bank.in / investor.helpdesk@in.mpms.mufg.com
2. For Demat shareholders – Please update your email id & mobile no. with your respective **Depository Participant (DP)**
3. **For Individual Demat shareholders** – Please update your email id & mobile no. with your respective Depository Participant (DP) which is mandatory while e-Voting & joining virtual meetings through Depository.

If you have any queries or issues regarding attending EGM & e-Voting from the CDSL e-Voting System, you can write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800 21 09911

All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call toll free no. 1800 21 09911.

9. SCRUTINIZER

M/s S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & Co, Company Secretaries, has been appointed as the scrutinizer by the Bank to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.

The Scrutinizer shall submit a consolidated Scrutinizer's Report on the total votes cast to the Chairman of the Meeting not later than 48 hours of conclusion of the EGM and the Chairman or a person authorised by him in writing shall countersign the same and declare the result of the voting forthwith by placing the Results along with the Scrutinizer's Report on the website of Stock Exchanges and the Bank.

10. CHANGE OF ADDRESS / DIVIDEND MANDATE

- a) The Bank for sending Notices / communications will use the details of address registered with NSDL/CDSL and downloaded by RTA from the respective Depositories. Shareholders holding shares in electronic form are hereby informed that their address registered in Demat Account should be updated with respective Depository Participant so as to get updated immediately. The Bank or its Registrar and Share Transfer Agent cannot act on any request received directly from the Shareholders holding shares in electronic form for any change of address. Such changes

are to be advised only to the Depository Participant of the Shareholders.

- b) Shareholders holding shares in physical form are requested to advise any change of address along with a valid documentary evidence and formal request application duly signed immediately to the Bank's Registrar and Share Transfer Agent, i.e. M/s MUFG Intime India Private Limited. Shareholders holding shares in electronic form must register change in address with their respective Depository Participant only and not to the Bank or Bank's Registrar and Share Transfer Agent.
- c) Shareholders are requested to invariably quote their respective folio number/s (for those holding shares in physical form) and their respective DP Id / Client Id number (for those holding shares in electronic/demat form) in any correspondence with the Bank or Bank's Registrar and Share Transfer Agent.

11. FURNISHING OF PAN, NOMINATION, CONTACT DETAILS, BANK A/C DETAILS AND SPECIMEN SIGNATURE BY PHYSICAL SHAREHOLDERS

SEBI vide its Circular no. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD- PoD-1/P/CIR/2023/37 dated 16th March 2023 has advised following:

- a) It is mandatory for all holders of physical securities in listed companies to furnish PAN, Nomination, Contact details, Bank A/c details and Specimen signature for their corresponding folio numbers.
- b) The folios wherein any one of the above cited document/details are not available on or after October 01, 2023, shall be frozen by the RTA.
- c) The security holder(s) whose folio(s) have been frozen shall be eligible (1) to lodge grievance or avail any service request from the RTA only after furnishing the complete documents / details as mentioned in above para 1. (2) for any payment including dividend, interest or redemption payment in respect of such frozen folios, only through electronic mode with effect from April 01, 2024.
- d) Frozen folios will be referred by the RTA / Bank to the administering authority under the Benami Transactions (Prohibitions) Act, 1988 and/or Prevention of Money Laundering Act, 2002, if they continue to remain frozen as on December 31, 2025.

12. CONTACT DETAILS FOR SHAREHOLDERS

For clarifications / assistance on any of the matters of this communication or any other issues related to shares / dividends of Punjab & Sind Bank, you may please reach us / RTA on the following address (Please quote your Folio No. / Telephone No. / Mobile No. / Email address in your correspondence).

MUFG Intime India Pvt Ltd. Unit: Punjab & Sind Bank Noble Heights, 1st Floor, Plot No. NH 2, LSC, C-1 Block, Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi-110058 Phone: +91 11 4141 0592, 93, 94 Fax: +91 11 4141 0591 Email: investor.helpdesk@in.mpms.mufg.com	The Company Secretary, Punjab & Sind Bank, NBCC Office Complex, 1 st Floor, Block 3, East Kidwai Nagar, New Delhi-110023, Telephone: 011-40175169, E-mail: complianceofficer@psb.bank.in
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEBI vide Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/CIR/2023/72 dated June 08, 2023 had advised RTA's to set up a user-friendly online mechanism or portal for service requests/ complaints.

As advised by SEBI, Bank's RTA (MUFG Intime India Private Limited) has launched 'SWAYAM', a brand-new Investor Self-Service Portal.

'SWAYAM' is a secure, user-friendly web-based application that empowers shareholders to effortlessly access various services. We request you to get registered and have first-hand experience of the portal.

This application can be accessed at <https://swayam.in.mpms.mufg.com/>

- Effective Resolution of Service Request -Generate and Track Service Requests/Complaints through SWAYAM.
- Features - A user-friendly GUI.
- Track Corporate Actions like Dividend/Interest/Bonus/split.
- PAN-based investments - Provides access to PAN linked accounts, Company wise holdings and security valuations.
- Effortlessly raise request for Unpaid Amounts.
- Self-service portal – for securities held in demat mode and physical securities, whose folios are KYC compliant.
- Statements - View entire holdings and status of corporate benefits.
- Two-factor authentication (2FA) at Login - Enhances security for investors.

13. DEMATERIALIZATION OF PHYSICAL HOLDINGS – A SPECIAL REQUEST:

- a) SEBI vide its Press Release No. 12/2019 dated 27.03.2019 has decided that except in case of transmission or transposition of securities, requests for effecting transfer of securities shall not be processed unless the securities are held in dematerialized form with a depository w.e.f. 01.04.2019. Hence, we request the shareholders to Demat their physical holding immediately.
- b) In terms of Regulation 40(1) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, transfer of securities held in physical mode has been discontinued w.e.f. April 01, 2019. Accordingly transfer of shares can be done only if the shares are held in demat form.
- c) Further, SEBI vide Circular No. SEBI/HO/MIRSD_RTAMB/P/ CIR/2022/8 dated 25th January 2022, decided that listed companies while processing requests for issue of duplicate share certificate, transmission, transposition, etc., shall henceforth issue the securities in demat form only. In view of above, we request all shareholders of the Bank, who hold the shares in physical form to kindly dematerialize their shares. Major advantages of holding the shares in Demat form are as follows:
 - i. Possibility of damage or loss of Physical share certificate is eliminated;
 - ii. Possibility of tearing or forgery or mutilation of share certificate(s) are eliminated;
 - iii. Dematerialization provides the ease and convenience of paperless trading of shares. Once a demat account is opened with a Depository Participant (DP), shareholder can easily buy or sell shares in electronic form.

14. PROCESS FOR DEMATERIALIZATION OF SHARES IN PHYSICAL FORM :

Following is the dematerialization process in case there is no change in details of existing share certificates:

A. For shareholder(s) who are not having a Demat account:

The shareholder(s) is/are required to approach nearby Depository Participant (DP) and open a Demat Account in the same name(s) and style in which the shareholder(s) hold shares in Punjab & Sind Bank. After opening of the Demat Account, shareholder(s) has to surrender the original share certificate(s) along with duly filled-in and signed Demat Request Form (DRF) to the DP, who will forward the same to Bank's RTA. The RTA will scrutinize/ verify the DRF and, if found in order, equivalent number of shares will be credited to the Demat account of the shareholder(s)

B. For shareholders already having a Demat account:

The shareholder (s) who are already having the Demat Account are required to check whether the existing Demat Account is in the same name(s) and style as per the shareholding in Punjab & Sind Bank. If yes, shareholder(s) has to submit duly filled in and signed DRF along with original share certificate(s) to the DP who will forward the same to Bank's RTA.

The RTA will scrutinize/ verify the DRF and, if found in order, equivalent number of shares will be credited to the Demat account of the shareholder(s).

If the existing Demat Account is not in the same order of name, the shareholder(s) is/are required to approach his/her DP for guidance.

In case there is change in details of existing share certificates, kindly contact our RTA i.e. M/s MUFG Intime India Private Limited or Bank at address mentioned above.

15. OTHER INFORMATION

- a. Shareholders who hold shares in physical form in multiple folios in identical names or joint names in the same order of names are requested to send their share certificates to the RTA for consolidation into a single folio.
- b. In view of the 'Green Initiatives' undertaken by the Bank, shareholders are requested to get their Email ids registered with their respective Depository Participant in case of shares held in demat form and with the Bank's RTA in case of shares held in physical form (email id of RTA: investor.helpdesk@in.mmps.mufg.com). Further, in case of changes, if any, pertaining to their name, postal address, email address, telephone/ mobile numbers, Permanent Account Number (PAN), mandates, nominations, bank details such as, name of the bank and branch details, bank account number, MICR code, IFSC code, etc., the same may be intimated to their DPs in case the shares are held by them in electronic form and to the RTA in case the shares are held by them in physical form.

By order of the Board of Directors
For PUNJAB & SIND BANK

Place: New Delhi
Date: 30 December, 2025

Saket Mehrotra
Company Secretary

EXPLANATORY STATEMENT

Item No 1: Issue of Equity Shares by way of Qualified Institutional Placement

- To cater to its increasingly growing business level in the continually changing business scenario, to comply with the Basel-III norms and to comply with the Minimum Public Shareholding requirement, the Bank needs additional capital.
- In order to meet the growing capital requirement of funds in terms of Basel III Capital Regulations and consequent Capital Charge and for general lending purposes as may be decided by the Board, the Bank proposes to raise funds to improve the Capital Adequacy of the Bank and to fund general business needs of the Bank.
- The Special Resolution proposed in the Notice relates to the issue of equity shares through Qualified Institutional Placement under Chapter VI of ICDR Regulations to Qualified Institutional Buyers for an amount not exceeding Rs.3000 crore (Rupees Three Thousand Crore only) (including premium).
- As the equity shares of the Bank is listed with the Stock Exchanges pursuant to SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, it is necessary for the shareholders to approve issue of any further security if not offered to them on a proportionate basis.
- It may be noted that apart from the approval of the shareholders, the issue of equity shares by way of Qualified Institutional Placement (QIP), etc., would be subject to compliance of all statutory, regulatory or any other applicable guidelines in this regard.
- The detailed terms and conditions for the issuance of the Equity Shares as and when made will be determined by the Board in consultation with the Merchant Bankers, Lead Managers, Advisors and such other authorities as may be required to be considered by the Bank considering the prevailing market conditions and other relevant factors. The Special Resolution seeks to give the Board powers to issue Equity Shares in one or more tranches at such time or times, at such price or prices, and to such of the Investors as are mentioned therein as the Board in its absolute discretion deems fit.
- The Board of Directors recommends for your approval the Special Resolution mentioned in the Notice.
- None of the Directors of the Bank or the Key Managerial personnel are concerned or interested in the Special Resolution except to the extent of the Shareholding in the Bank.

By order of the Board of Directors
For PUNJAB & SIND BANK

Place: New Delhi
Date: 30 December, 2025

Saket Mehrotra
Company Secretary